कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
(वि0/यां) परिक्षेत्र मध्यप्रदेश भोपाल

आ0क्रमांक– /विधि/मु.अ./लो.स्वा.यां.वि./(वि./यां.)/परि./26–27 भोपाल, दिनांक

–:: आदेश ::–

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 47613/2025 (दिनेश सेन विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2025 के परिपालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड दमोह के अधीनस्थ कार्यरत श्री दिनेश कुमार सेन द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 08.04.2019 का निराकरण किया जा रहा है।

(1) श्री दिनेश सेन दैनिक वेतन भोगी स्थापना के कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 47613/2025 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्नानुसार सहायता चाही गई थी।

Issue a writ in the nature of mandamus and directed to the respondents to decide the petitioner's representation (Annexure-P/4) in the light of SLP (C) Nos.22241-42 of 2016 (Vinod Kumar and Others Vs. Union of India and Others) with in 90 days, in the, in the interest of justice.

1. Issue a writ in the nature of mandamus and directed to the respondents to regularized the petitioner on his post of "Helper" before his retirement and to give concerned benefits to him, in the interest of justice.

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका क्रमांक 47613/2025 का निराकरण कर पारित निर्णय दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से किया गया है, जिसका ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :–

2. Considering the aforesaid innocuous prayer, without commenting anything on merit, this petition stands disposed of with a direction to respondent No.3 to consider and decide petitioner's representation dated 08/04/2019 (Annexure P/3) in the light of Vinod Kumar and Ors. (Supra) within a period of 90 days from the date of production of certified copy of this order by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law

3. Accordingly, this petition stands disposed of.

(3) रिट याचिका क्रमांक 47613/2025 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2025 में उल्लेखित याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 08.04.2019 (Annexure P/3) निम्नानुसार है :–

श्रीमान कार्यपालन यंत्री

लेक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मैकेनिकल खण्ड सागर (म.प्र.)

महोदय,

मै दिनेश सेन दिनांक 12.03.1985 से कार्यालय सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल खण्ड/उपखण्ड दमोह (म.प्र.) में दैनिक वेतन भोगी हेल्पर के पद पर पदस्थ हूॅं तथा पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूॅं।

मेरे कार्य की समय समय पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गई था मेरे अच्छे व संतोषजनक कार्य के लिए मुझे प्रशंसा पत्र और प्रमाण पत्र भी जारी किये गये है।

मेरे विरूद्ध कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत भी आज दिनांक तक किसी के द्वारा नहीं की गई है फिर भी मुझे आज दिनांक तक नियमित नहीं किया गया है जबकि मेरी विभाग में लगभग 34 वर्ष कि सतत सेवा पूर्ण हो चुकी है।

मेरे समकक्ष अनेक कर्मचारियों को विभाग द्वारा नियमित किया जा चुका है परंतु मुझे आज तक नियमित नहीं किया गया है जबकि मैं पूर्ण योग्यता रखता हूँ तथा कक्षा आठवीं भी पास हूँ।

अतः माननीय महोदयगणों से प्रार्थना है कि मुझे वेतनभोगी हेल्पर के पद से नियमित हेल्पर के पद पर नियमित किये जाने की कृपा कि जाये।

(3) अंतिम रूप से की जाने वाली कार्यवाही का विवरण :–

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. 47613/2025 (दिनेश सेन बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2025 के परिपालन में श्री दिनेश सेन, दैनिक वेतन भोगी हेल्पर, मैकेनिकल खंड सागर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 08.04.2019 (Annexure P/3) का निराकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 22241–42/2016 (विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के प्रकाश में किया जाना है।

श्री दिनेश सेन द्वारा अपने अभ्यावेदन में दैनिक वेतन भोगी हेल्पर के पद से नियमित हेल्पर के पद पर नियमित किये जाने का निवेदन किया गया है। उन्होने अपने अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया है कि उनके समकक्ष अनेक कर्मचारियों को विभाग द्वारा नियमित किया जा चुका है, किन्तु उन्हें नियमित नहीं किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 22241–42/2016 (विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि ''**उमा देवी (सुप्रा)**'' प्रकरण में अवैधानिक एवं अनियमित, दो तरह की नियुक्तियों का उल्लेख है। निर्णय के अनुसार यदि कुछ नियुक्तियॉ पूरी तरह से नियम और प्रकियाओं का पालन करते हुए नहीं भी की गयी है तो भी उन्हें अवैधानिक नहीं माना जा सकता है, यदि उनमें नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया का पालन किया गया हो जैसे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि। इस तरह की नियुक्तियां अनियमित नियुक्तियों की श्रेणी में आती है। इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनियमित नियुक्तियों से सेवा में आये कर्मचारियों को लंबी सेवा के उपरांत स्थायी पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

इस प्रकरण में याचिकाकर्ता कर्मचारी के दैनिक वेतन भोगी सेवा में नियुक्त होने की प्रक्रिया का परीक्षण करते हुए यह निर्धारित किया जाना है कि उसकी सेवाऐं लंबी सेवा अवधि के उपरांत नियमित स्थापना के समकक्ष पद पर संविलियन किये जाने योग्य है अथवा नहीं।

(4) याचिकाकर्तौ के नियमितीकरण के संबंध में निर्धारण :–

रिट पिटीशन क्र. 47613/2025 (दिनेश सेन बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2025 के परिपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खंड सागर के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी श्री दिनेश सेन दैनिक वेतन भोगी हेल्पर को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 22241–42/2016 (विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के प्रकाश में नियमित किये जाने के संबंध में निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 22241–42/2016 (विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के अनुसार अनियमित नियुक्तियों से सेवा में आये कर्मचारियों को लंबी सेवा के उपरांत स्थायी पद पर नियुक्त किया जा सकता है किंतु याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की नियुक्ति अनियमित ना होकर पूर्णतः अवैद्यानिक है –

(अ) याचिकाकर्ता का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खंड सागर के अधीनस्थ दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप मे नियोजन पूर्णतः अवैधानिक था । विभागीय तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उसकी नियुक्ति में किसी प्रकार के नियम/प्रक्रिया, जैसे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि का पालन नहीं किया गया था। अन्यथा भी उसकी नियुक्ति के संबंध में किसी वैद्यानिक प्रक्रिया के अपनाये जाने का कोई प्रमाण नहीं है ना ही नियुक्ति से संबंधित कोई विधिवत् आदेश जारी हुआ है। विभाग में दैनिक

वेतन भोगी श्रमिक (स्थायी वर्गीकृत या अन्यथा) के कोई पद स्वीकृत नहीं है तथा पूर्व में भी स्वीकृत नहीं थे। याचिकाकर्ता को स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया गया था। संबंधित नियोजकों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की नियुक्ति के अधिकार नहीं थे। उक्तानुसार याचिकाकर्ता को बिना किसी भर्ती नियम के अथवा किसी भर्ती प्रक्रिया के तथा बिना किसी शैक्षणिक अर्हता, बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किया गया था। ऐसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के सेवा नियम लागू नहीं होते है। यदि उनका नियोजन ''म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञायें) अधिनियम 1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत भी विचारित किया जाता है तो भी यह पाया जाता है कि Standard Standing Orders के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में नियत प्रावधानों, जिनका उल्लेख Clause-4 एव ं4-A में है, का पालन नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार है –

> **4: Recruitment. — The manager may after consulting the Employment Exchange lay down the procedure for recruitment of employees and notify it on the notice board on, which standing orders are exhibited.**
> **4-A. Letter of appointment. — Every employee shall be given a letter of appointment, in which among other things, his name, age, qualification, designation, classification: pay-scale, allowance, nature of job, name of department etc., shall be indicated.**

(ब) सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006**के सन्दर्भ में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16 मई 2007 के अनुसार अवैधानिक नियुक्ति से तात्पर्य यह है कि :–

> " संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत अपात्र लोगों की, ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत की गई नियुक्ति जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा ऐसी नियुक्ति करने हेतु नियुक्तिकर्ता वैध रूप से आबद्ध ना हो तथा ऐसी नियुक्ति करना अवैधानिक हो तथा ऐसी नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत नहीं होते हुए या नियुक्तिकर्ता को नियुक्ति के अधिकार नहीं होते हुए नियम/ बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो। उदाहरणार्थ –
>
> - पद स्वीकृत न होना
> - आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर की गई नियुक्ति
> - नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा न होना
> - भर्ती नियम अनुसार अर्हता न होना
> - नियुक्ति के अधिकार के बिना नियुक्ति
> - कोई पद पर नियुक्ति विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, फिर भी ऐसे नियमों या संविधान के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में भर्ती की गई हो।''

(स) मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में **रिट याचिका क्रमांक 198/1999 मनसुखलाल सराफ विरूद्ध अरूण कुमार तिवारी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015** में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसे समस्त आदेश जहॉ विहित भर्ती नियमों का पालन न करते हुये भर्तियॉ की गई हैं वो कानूनी रूप से शून्य मानी जायेंगी। यथा :–

> **47. "By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the selection process prescribed by the relevant recruitment**

rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith. However, we may leave the passing of a formal general Government order for revocation of all such appointments or on case to case basis, to be issued by the Appropriate Authority of the State Government."

इसी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गयी **एस.एल.पी. (सी) सी.सी.क. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.4.2017** द्वारा मा0उच्चतम न्यायालय ने मा0उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को मान्य किया है।

(द) उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर विचार करने के उपरांत यह पाया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006 तथा एस. एल.पी. (सी) सी.सी.क. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.4.2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार याचिकाकर्ता का दैनिक वेतन भोगी नियोजन पूर्णतः अवैधानिक था।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 में अवैधानिक रूप से नियुक्त हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को अमान्य किया गया है :–

मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 में** अपने पूर्व निर्धारित प्रकरण **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सेक्रेटरी कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006** का हवाला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रक्रिया के तथा बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किये गए हैं, उनके द्वारा की गई नियमितीकरण की मांग मान्य किये जाने योग्य नहीं है । निर्णय निम्नानुसार है :–

3. The case of the appellant is that he was engaged in 1980 as a Supervisor, on daily rated basis, under a project of the State Water Resources Department of Madhya Pradesh. The appellant sought regularization on the post of Supervisor/Time Keeper. Admittedly, the minimum qualification for the said post was matriculation with mathematics; a qualification which the appellant did not possess. These qualifications were relaxed by a Government Circular dated 31.12.2010 and the appellant sought his regularization on the post of Supervisor/Time Keeper, as he was qualified for the post and had been working on daily wage basis for a long period of time. In fact, in another writ petition (W.P. 13997/2010) filed by the appellant earlier, the High Court of Madhya Pradesh vide order dated 02.11.2017, had given directions to the State Government to decide the claim of the writ petitioner in accordance with law. Vide order dated 18.06.2018 issued by the Office of Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, the claim of the appellant for regularization was rejected for the reasons that though the minimum qualifications of matriculation with mathematics will not come in the way for his regularization, but the fact remains that the appellant was never appointed against any post. Moreover, his appointment was never made by the competent authority and there were no posts available at the time for regularization. The appellant on the other hand, had set his claim for regularization as persons who were junior

to him as daily wagers were regularized in the year 1990 or even before. The learned Single Judge while allowing the writ petition gave directions for regularization of the appellant from the date on which his juniors were regularized. This order was challenged by the State Government before a Division Bench which allowed the appeal of the State Government. The Division Bench rightly held that the learned Single Judge has not followed the principle of law as given by this Court in Secretary, State of Karnataka and Ors. v. Umadevi and Ors. , as initial appointment must be done by the competent authority and there must be a sanctioned post on which the daily rated employee must be working. These two conditions were clearly missing in the case of the present appellant. The Division Bench of the High Court therefore has to our mind rightly allowed the appeal and set aside the order dated 27.06.2019.

4. In view of the law laid down by the Constitution Bench of this Court in Uma Devi (supra), the appellant had no case for regularization. There is no scope, hence, for our interference with the order of the Division Bench of the Madhya Pradesh High Court. Appeal is dismissed.

(iii) कंडिका 4(i) एवं 4(ii) के अनुसार याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वर्तमान में कार्यभारित/नियमित स्थापना के पदों पर विभागीय तौर पर सेवा संविलियन की पात्रता नहीं रखता है ।

(iv) इस संबंध में अपवाद यह है कि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गयी "कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये ''स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना" दिनांक 07.10.2016 के अनुसार यदि याचिकाकर्ता कर्मचारी का भविष्य में जिला स्तर पर, वरिष्ठता के आधार पर, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से नियमित पद पर संविलियन हेतु चयन किया जाता है तो उसे नियमितिकरण संबंधी लाभ प्राप्त हो सकेंगे । याचिकाकर्ता को इस योजना के अंतर्गत अकुशल श्रेणी में स्थायी घोषित करते हुऐ वेतनमान रूपये 4000–7000/– स्वीकृत किया गया है।

(6) न्यायालयीन निर्णय के परिपालन में याचिकाकर्ता को प्राप्त होने वाले लाभों का अंतिम निर्धारण :–

याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री दिनेश सेन द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 08.04.2019 के माध्यम से की गयी मांग कि उसे विभागीय तौर पर नियमित स्थापना के समकक्ष पद पर नियमित किया जावे, का परीक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 22241–42/2016 (विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के प्रकाश में किया गया है तथा यह पाया गया है कि उनकी नियुक्ति अनियमित नहीं बल्कि अंवैधानिक है तथा ऐसी नियुक्तियों के कर्मचारियों को मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 के अनुसार स्थायी पद प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है। अतः संपूर्ण विचारोपरांत याचिकाकर्ता कर्मचारी के अभ्यावेदन दिनांक 08.04.2019 को अमान्य किया जाता है। याचिकाकर्ता कर्मचारी को भविष्य में नियमितीकरण का लाभ मात्र म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गयी **"कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये ''स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** दिनांक 07.10.2016 के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकेंगे।

(7) यदि याचिकाकर्ता इस निराकरण से असंतुष्ट हों तो वे अपनी अपील 02 माह के भीतर प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जलभवन बाणगंगा भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

(एल.एन. मालवीया)
मुख्य अभियंता (वि./यां.)
लो.स्वा.यां.वि. भोपाल

पृ.क्रं.–   /विधि/मु.अ./लो.स्वा.यां.वि./(वि./यां.)/परि./25–26 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि –

1– प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग जल भवन बाणगंगा रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल खण्ड सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– संबंधित श्री दिनेश कुमार सेन, दैनिक वेतन भोगी हैल्पर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता (वि./यां.)
लो.स्वा.यां.वि. भोपाल

2024 INSC 332

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NOS. OF 2024

(ARISING OUT OF SLP(C) Nos.22241-42 OF 2016)

VINOD KUMAR & ORS. ETC. ...APPELLANT(S)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ...RESPONDENT(S)

O R D E R

VIKRAM NATH, J.

Leave granted.

2. These appeals arise out of the judgment dated 30.03.2016, passed by the High Court of Judicature at Allahabad in Civil Misc. Writ Petition No. 42688 of 2001 and Civil Misc. Writ Petition No. 42692 of 2001, whereby the writ petitions filed by the appellants challenging the

Signature Not Verified
Digitally signed by
Neetu Khajuria
Date: 2024.04.23
19:08:22 IST
Reason:

judgment of the Central Administrative Tribunal, Allahabad Bench, dated 21.11.2001 were dismissed. The Tribunal's judgment negated the appellants' plea for regularization and absorption into the posts of 'Accounts Clerk' against which they were temporarily appointed. Despite being appointed for what was termed a temporary or scheme-based engagement, the appellants have been continuously working in these positions from 1992 till the present, spanning a period exceeding 25 years.

3. Pursuant to a notification dated 21.02.1991, the appellants were initially appointed to ex-cadre posts of Accounts Clerks after a selection process involving written tests and viva voce interviews. After the rejection of their representation for regularization to the Divisional Railway Manager in 1999, the appellants approached the Central

Administrative Tribunal by way of Original Applications. The Tribunal vide order dated 21.11.2001 dismissed the applications of the appellants, concluding that their appointments were temporary and for a specific scheme, thus not entitling them to regularization or absorption into permanent posts. Thereafter, the appellants approached the High Court and the High Court upheld the order of the Tribunal and dismissed their Writ Petitions observing that the appellants' employment under a temporary scheme could not confer upon them the rights akin to those held by permanent employees and relied upon the judgement of this Court in **Secretary, State of Karnataka vs. Umadevi reported in 2006 (4) SCC 1**, which held that temporary or casual employees do not have a fundamental right to be absorbed into service.

4. The appellants have approached this Court arguing that the High Court erred in its judgment by failing to recognize the substantive nature of their duties, which align with regular employment rather than the temporary or scheme-based roles they were originally appointed for. Furthermore, their promotion by a regularly constituted Departmental Promotional Committee, the selection process they underwent, and the continuous nature of their service for over a quarter of a century underscored their argument for regularization and that the High Court has incorrectly applied the principles from the case of **Uma Devi (supra)** to their situation.

5. Having heard the arguments of both the sides, this Court believes that the essence of employment and the rights thereof cannot be

merely determined by the initial terms of appointment when the actual course of employment has evolved significantly over time. The continuous service of the appellants in the capacities of regular employees, performing duties indistinguishable from those in permanent posts, and their selection through a process that mirrors that of regular recruitment, constitute a substantive departure from the temporary and scheme-specific nature of their initial engagement. Moreover, the appellants' promotion process was conducted and overseen by a Departmental Promotional Committee and their sustained service for more than 25 years without any indication of the temporary nature of their roles being reaffirmed or the duration of such temporary engagement being specified,

merits a reconsideration of their employment status.

6. The application of the judgment in **Uma Devi (supra)** by the High Court does not fit squarely with the facts at hand, given the specific circumstances under which the appellants were employed and have continued their service. The reliance on procedural formalities at the outset cannot be used to perpetually deny substantive rights that have accrued over a considerable period through continuous service. Their promotion was based on a specific notification for vacancies and a subsequent circular, followed by a selection process involving written tests and interviews, which distinguishes their case from the appointments through back door entry as discussed in the case of **Uma Devi (supra)**.

7. The judgement in the case **Uma Devi (supra)** also distinguished between “irregular” and “illegal” appointments underscoring the importance of considering certain appointments even if were not made strictly in accordance with the prescribed Rules and Procedure, cannot be said to have been made illegally if they had followed the procedures of regular appointments such as conduct of written examinations or interviews as in the present case. Paragraph 53 of the **Uma Devi (supra)** case is reproduced hereunder:

> “53. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments (not illegal appointments) as explained in S.V. Narayanappa [(1967) 1 SCR 128 : AIR 1967 SC 1071] , R.N. Nanjundappa [(1972) 1 SCC 409 : (1972) 2 SCR 799] and B.N. Nagarajan [(1979) 4 SCC 507 : 1980 SCC (L&S) 4 : (1979) 3 SCR 937] and referred to in para 15 above, of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made and the employees have continued to work for ten years or more but without the intervention of orders of the courts or of tribunals. The question of

regularisation of the services of such employees may have to be considered on merits in the light of the principles settled by this Court in the cases above referred to and in the light of this judgment. In that context, the Union of India, the State Governments and their instrumentalities should take steps to regularise as a one-time measure, the services of such irregularly appointed, who have worked for ten years or more in duly sanctioned posts but not under cover of orders of the courts or of tribunals and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up, in cases where temporary employees or daily wagers are being now employed. The process must be set in motion within six months from this date. We also clarify that regularisation, if any already made, but not sub judice, need not be reopened based on this judgment, but there should be no further bypassing of the constitutional requirement and regularising or making permanent, those not duly appointed as per the constitutional scheme."

8. In light of the reasons recorded above, this Court finds merit in the appellants' arguments and holds that their service conditions, as evolved over time, warrant a reclassification from temporary to regular status. The failure to

recognize the substantive nature of their roles and their continuous service akin to permanent employees runs counter to the principles of equity, fairness, and the intent behind employment regulations.

9. Accordingly, the appeals are allowed. The judgment of the High Court is set aside, and the appellants are entitled to be considered for regularization in their respective posts. The respondents are directed to complete the process of regularization within 3 months from the date of service of this judgment.

10. No order as to costs.

..J.
(VIKRAM NATH)

..J.
(K.V. VISWANATHAN)

NEW DELHI

JANUARY 30, 2024